



जैसलमेर जिले ओरण व खड़ीनो के मध्य पर्यायवरणीय सम्बन्धो का अध्ययन

नेमीचन्द्र गर्ग¹

¹ (सहायक आचार्य भूगोल), एस. बी. के राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर.

ABSTRACT

वैश्विक पर्यायवरणीय चिन्तन आर्थिक विकास व पर्यायवरणीय संरक्षण के मध्य दोनो धाराओ के बीच में मानव हित के बारे में सोच रहा है इसलिए सतत पर्यायवरण विकास के साथ आर्थिक विकास का मार्ग प्रस्तुत करना चाहता है। जिसे सर्वोर्धित विकास भी कह सकते हैं। भारतीय समाज ने अनादिकाल से सर्वोर्धित विकास की सोच से अपना कर पर्यायवरण को संरक्षित करता रहा है। इसी विचार ने धर्म की आड़ में प्रकृति संरक्षण के लिए समाज में ऐसी परम्पराए विकसित की जो कि आज व्याप्त है। समाजिक परम्पराओ में पर्यायवरण संरक्षण के लिए कोई लिखित सविधान नहीं अपनाया बल्कि स्थानीय सोच व धार्मिक आस्था के कारण पर्यायवरण के संरक्षण व प्रबंधन करते रहे हैं।

इसी क्रम में राजस्थान के पश्चिम भाग महान थार मरुस्थल में स्थित जैसलमेर में विपरीत भौगोलिक तथा विषम जलवायु क्षेत्र में जल व वन दोनो महत्त्वपूर्ण कारको समझ कर स्थानीय आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास का मार्ग अपनाया। वर्षा जल के प्रबंधन के लिए तालाब, नाडी, बेरीया तथा पार तथा रणो का निर्माण करवाया तो वनो तथा वन्य जीवो को संरक्षित करने के लिए गोचर भूमि तथा ओरण भूमि को कृषि से अलग कर रखा गया।

जिले के स्थानीय ग्रामीण समाज में ऐसी परम्पराए विकसित की जिससे आर्थिक हित के साथ पर्यायवरण का भी विकास होता है। ये परम्पराए जल, जमीन, वनस्पति, वन्य जीव जन्तुओ को बचाने स्थानीय समाज में व्याप्त थी। जैसे गांव का कृषि भूमि खड़ीन, गाव के पशुओ के लिए गोचर भूमि, वन्यजीवो के लिए ओरण तथा पेयजल के लिए पार या तालाब अथवा कुआ इनको संरक्षित करने के लिए समाज के पास कोई लिखित विधान नहीं था। स्थानीय लोग स्वविवेक व धार्मिक आस्था के कारण पर्यायवरण के संरक्षण व प्रबंधन करते थे। जैसलमेर जिला राजस्थान का ऐसा क्षेत्र है जहां विपरीत भौगोलिक परिस्थितियो ने स्थानीय समाज को पर्यायवरण को संरक्षित कर सर्वोर्धित विकास के मार्ग प्रस्तुत किया है जिसके उदाहरण ओरण व गोचर भूमि तथा खड़ीन कृषि स्वरूप है।

Keywords: समाजिक परम्पराए, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, ओरण, गोचर, खड़ीन

शोध के उद्देश्य—

1. स्थानीय सामाजिक परम्पराओ की जानकारी तथा प्रकृति के साथ सम्बन्ध
2. ओरण व खड़ीनो के पर्यायवरणीय स्वरूप का अध्ययन तथा स्थानीय समाज का योगदान
3. खड़ीन कृषि तथा ओरण भूमि के पर्यायवरण सम्बन्ध का अध्ययन

साहित्य समीक्षा —

जैसलमेर जिले में स्थित ओरण पर विभिन्न समाचार पत्रो तथा पत्र पत्रिकाओ में आने वाले आलेख तथा "आफरी" तथा "काजरी" नामक भारतीय अनुसंधान संस्थानो के शोध में जिले की विभिन्न ओरण भौगोलिक तथा पर्यायवरण स्वरूप प्रकाश डाला है। इसी प्रकार भुवनेश जैन ने अपनी पुस्तक "ओरण" में जिले की विभिन्न ओरण की वर्तमान स्थिति व बदलते स्थिति के बारे में बताया है। ओरण व खड़ीन पर जैसलमेर प्रसिद्ध इतिहासकार नन्दकिशोर शर्मा ने अपनी पुस्तक "जैसलमेर का सामाजिक एव सांस्कृतिक इतिहास" में विस्तृत विवरण प्रदान किया है। लक्ष्मीकान्त मोहता ने अपनी पुस्तक "तवारिख" में ओरण भूमि तथा खड़ीन भूमि के ऐतिहासिक स्थिति तथा तत्कालीन ग्रामीण स्वशासन के बारे में लिखा है।

शोध विधितंत्र —

प्रस्तुत शोध पत्र में अनुभव आधारित पद्धति को प्रयोग करके जिले के स्थानीय लोगो जानकारी तथा जिले की विभिन्न ओरण तथा खड़ीन क्षेत्रो के भ्रमण से प्राथमिक आकड़ो को संग्रह किया गया है द्वितीय आकड़ो को विभिन्न पुस्तको तथा समाचार पत्रो एव इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त किया गया है। इस शोध में स्थानीय ग्रामीण समाज में व्याप्त ऐसी परम्पराए तथा प्रथाओ का उल्लेख किया है जो पर्यायवरण संरक्षण के लिए उत्तरदायी रही है और जिससे आर्थिक विकास का मार्ग प्रसरत किया है।

शोध समस्या का अध्ययन —

जैसलमेर में थार के मरुस्थल में विपरीत भौगोलिक तथा विषम जलवायु क्षेत्र में जल व वन दोनो महत्त्वपूर्ण कारक है स्थानीय समाज ने पर्यायवरण को संरक्षित करते हुए वर्षा जल व वन तथा वन्य जीवो को संरक्षित करने का प्रबंधन किया है पशुपालन के गोचर भूमि तथा वन्य जीवो के ओरण भूमि को रखा गया इन दोनो के जल प्राप्ति हेतु कृषि व पेयजल हेतु खड़ीनो तथा नाडी, तालाब और छोटे पोखरो का निर्माण किया। संभवतः दोनो प्राकृतिक स्रोत एक दूसरे के पूरक है क्योंकि अधिकांश ओरण स्थानीय खड़ीनो के समीप है इसी शोध समस्या का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

अ.जैसलमेर जिले में ओरण —

जैसलमेर जिले में ओरण को विकसित करने स्थानीय राजशाही प्रशासन तथा धार्मिक आस्था का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थानीय राजाओ ने तत्कालीन अन्तराष्ट्रीय व्यापार मार्ग तथा पशुपालन एव कृषि के आर्थिक दृष्टिकोण के साथ जल तथा वन सम्पदा को बचाने का कार्य किया है। क्योंकि अधिकांश ओरण तत्कालीन राजाओ के द्वारा विभिन्न गांवो के प्रदत्त है जिसका उल्लेख विभिन्न ताम्रपत्रो तथा गोर्वंधनो पर किया गया है मोकला स्थित विकनसिंह की ओरण (भाटी वंश से संबन्धित) हो या जानरा में मालण बाई (परमार वंश से संबन्धित है जो स्थानीय गोर्वंधन पर लिखित) इसी प्रकार किशनघाट के समीप गोचर भूमि (भाटी वंश के मूलराज द्वितीय के समय प्राप्त गोर्वंधन तथा उसके समीप गाय व बछड़े की मूर्ति) के लिए की ओरण के प्रति सदभाव व वन तथा वन भूमि संरक्षित करने के लिए कार्य किये गये है।

राजतंत्र में दिवान नथमल ने जंगली बेर के वृक्ष के काटने पर समाज द्वारा दण्डस्वरूप सोने के वृक्ष को बना कर भेट करना। वही जंगली जीव अथवा जीव को जाने अनजाने में हत्या के पश्चात्ताप में सोने अथवा चांदी के जीवो को मन्दिर में भेट करना ये सभी स्थानीय पारम्परिक समाज तथा ग्रामीण प्रशासन की जीव तथा उसके पर्यायवरण को बचाने के लिए सामाजिक परम्पराए है।

यह अनुठी परम्परा जो वर्तमान समय में भी व्याप्त है जिसे ओरण अर्थात् देवभूमि या हम आरण को पितृभूमि व मातृभूमि भी कह सकते हैं ओरण को पितृभूमि और मातृभूमि कहने का कारण यह है कि स्थानीय तत्कालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि व पशुपालन था जिसमें अकाल तथा जल की कमी के कारण कृषि के बजाय पशुपालन लाभकारी रहा है। पशुओं से भोजन के रूप में दूध-दही-छाछ व घी आदि मिल जाता था एवं उनके क्रय-विक्रय से अन्य पूर्तियां भी हो जाती थी। पशु इन्हीं ओरणों के विशाल चरागाहों पर निर्भर थे, और इस मरुप्रदेश में ओरण स्थानीय जन के पालन-पोषण का मुख्य साधन है और जीवन का आधार है। ओरण शब्द की उत्पत्ति अरण्य शब्द से हुई है अरण्य एक संस्कृत शब्द है अरण्य अर्थात् वनभूमि या वनक्षेत्र और ओरण वनों से घिरे विशेष क्षेत्र को ही कहते हैं जबकि स्थानीय जनमानस की मान्यता थी कि देवों के कृपा ऋण से और माता-पिता के पालक ऋण से, उच्छ्रण होने के लिए स्थानीय लोग अपनी कुछ भूमि को दान कर वहाँ पेड़-पौधे लगाने की परम्परा को बनाए रखने की वनस्पतियों का बीजारोपण करते थे और कुए एवं तालाब भी बनवाते थे जिससे कि बेजुबान पशु-पक्षियों को भोजन-पानी मिल सकें उनका भरण-पोषण हो सकें। ये एक तरोक था माता-पिता और देवों के ऋण से मुक्त होने का इसी ऋण से उच्छ्रण शब्द निकला और उसी उच्छ्रण शब्द से ही ओरण शब्द की उत्पत्ति हुई।

ओरण भूमि पर केवल बेजुबान पशु-पक्षियों का ही हक होता था, इंसान उस भूमि पर खेती नहीं कर सकता था और न ही निजी कार्यों के लिए ओरण भूमि का उपयोग होता था। जल व फल के उपयोग की छूट थी क्योंकि ओरण ही जल के प्रमुख केंद्र थे इस मरुप्रदेश के विशालकाय ओरणों में तो छोटे-मोटे नदी-नाले भी बहते हैं

विशालकाय तालाब और मीलों में फैले उनके आगोर हमें ओरणों में ही देखने को मिल सकते हैं, ओरण जलसंरक्षण के प्रमुख केंद्र हैं और जहाँ जल होता है वहाँ जीवन होता है फल होते हैं ओरण संस्कृति अधिकतर राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में देखी गई है।

ओरण जलसंरक्षण के प्रमुख केंद्र हैं और जहाँ जल होता है वहाँ जीवन होता है फल होते हैं। ओरण संस्कृति अधिकतर राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में देखी गई है वैसे कुछ उदाहरण सम्पूर्ण राजस्थान में भी पाए गए हैं। लेकिन अधिकतर राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में ही है। वैसे तो वन क्षेत्र भारत के हर कोने में पाए जाते हैं कुछ बड़े तो कुछ छोटे। लेकिन उनमें नियम और कायदे ओरण जैसे नहीं हैं और नहीं ओरणों जैसी आस्था उन वनों से वहाँ बसने वाले सामान्य जन की है, इसी लिए ही ओरण को देवभूमि का दर्जा दिया गया है। इन ओरणों में पेड़ काटना तो दूर की बात है लोग पेड़ लगाते हैं, उन्हें देव मानकर पालते हैं, हालांकि सुखी लकड़ी जो स्वतः पेड़ों से भूमि पर गिरती है, उसका उपयोग भी ईंधन के रूप में अधिकतर ओरण क्षेत्र में ही होता है, घर कोई नहीं ले जाता है। इस काम के लिए न तो कोई सरकारी आदेश है और न ही वन विभाग की फौज और ये ओरण राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में स्थित हैं जहाँ बारिश कम होती है तो पेड़-पौधे भी कम हैं ऐसे में वनों की लकड़ियों की कमी से यहाँ का जन सदैव से जुझता रहा है फिर भी उन्होंने ओरण क्षेत्र के पेड़ और पौधों का कभी उपभोग नहीं किया घर बनाने में व घरेलू सामान बनाने में और विशेषकर ईंधन के रूप में लकड़ी बहुत काम आती है फिर भी स्थानीय जन ओरण की लकड़ी का उपयोग नहीं करता है क्योंकि यहाँ के लोगों में ओरण क प्रति गहरी आस्था है देशनोक बीकानेर में स्थित करनी मातामंदिर की ओरण परिक्रमा या सांवता जैसलमेर में स्थित देगराय की परिक्रमा इसी आस्था का प्रतीक है। राजस्थान के पश्चिमी भूभाग के लगभग हर गांव में छोटा-मोटा ओरण तो अश्य है जो या तो किसी कुल देवता या कुलदेवी के नाम से है या इष्टदेव के नाम से है या लोक-देवताओं के नाम से है इन्हीं कारणों से ओरणों के प्रति आस्था भी है और अनुशासन भी जो इन बहुउपयोगी ओरणों के संरक्षण के लिए आवश्यक है और पूर्वजों की महान सोच को दर्शाता है। स्थानीय भाषा में ओरण को ओण भी कहते हैं जिसमें आंग अर्थात् सौगंध दी जाती है अर्थात् स्थानीय जन मानस देवो अथवा देवता ओरण को हानि न पहुंचाने तथा उसकी रक्षा की सौगंध लेता है यही कालान्तर में जा जनअनुशासन के रूपमें कार्य करता है किसी देवी-देवता के ओरण में पत्ता, डाली या पेड़ तोड़ने पर देवी-देवता कुपित हो जाते हैं, लेकिन कभी उसका कोई साक्ष्य नहीं देखा होगा। जैसलमेर के दिधु-आस्कन्द्रा गाँवों में स्थित देवी स्वांगियाँ जी के ओरण में आप इस बात का सबूत देख सकते हैं। पाबूजी, रामदेवजी, तेजाजी, झरझाजी, गोगाजी, आईनाथजी और अन्य स्थानीय देवी-देवता व जूझार-भोमियों (गायों व भूमि की रक्षा लिए हुए शहीद)के नाम पर ये ओरण संरक्षित होते थे

ओरण मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ओरण सर्वर्धित पर्यावरण पोषण का आधार है जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र तथा सामाजिक व आर्थिक विकास के मार्ग को विकसित करता है ओरण पशुधन के लिए विशाल चारागाह है राजस्थान क गाँवों में पर्यावरण संरक्षण का अपना लौकिक तरीका था। देवी-देवताओं के नाम से ओरण (बन-भूमि) छोड़े जाते थे इसलिए लोग उन जगहों से तिनका भी नहीं तोड़ते थे, लकड़ी काटने का तो सवाल ही नहीं उठता था इसी तरह गायों के चरने के लिए गोचर भूमि और उनके बैठने के लिए खेड़ा (गाँव के चारों ओर की जमीन) और तांडा (कुआँ व तालाबों के पास की जमीन) होता था तालाबों के आगोरों (पानी आवक का क्षेत्र) में कोई भी शौचादि नहीं जा सकता था बच्चों के खेलने और बुजुर्ग लोगों के बंतल-हथाई के लिए खुला स्थान बाखल होता था इन सभी स्थानों पर कोई न तो बस सकता था और न ही कोई सार्वजनिक स्थान खड़ा किया जा सकता था ब्रिटिश संविधान की तरह गाँव का अपना अलिखित संविधान होता था इस संविधान का उल्लंघन करनेवाले को दंडित किया जाता था

ओरणों में ही विशाल तालाब हैं केवल पेयजल प्रयोजन होते हैं वो नाडी, नाडा, पार तथा तलाई नामो से जाने जाते हैं यही जैसलमेर नगर से लगभग 25 से 30 किमी परिधि जहां इन विशाल तालाबों का उपयोग पेयजल के साथ कृषि कार्य के लिए होता वहां खड़ीनो का विकास होता है। इनके विशाल आगोर अथवा कैचमेण्ट क्षेत्र ओरणों के वृक्षों से सुरक्षित है इस कारण ही साल भर भरे रहते हैं जिनसे आमजन और पशुधन एवं वन्य जीव जल पीते हैं इन्हीं तालाबों से कुएँ भी रिचार्ज होते हैं जो अकाल के समय जल देते हैं। इन्हीं ओरणों में वर्षा ऋतु में बहने वाल छोटे छोटे नाले हैं, जो खेतों को जल से भर खड़ीनों का रूप देते हैं जिनसे किसान अच्छी पैदावार लेते हैं। खड़ीनों के गेहूँ और चने बहुत प्रसिद्ध हैं ऐसे बहुत से छोटे छोटे नाले मिल छोटी नदियाँ बनाते हैं जो स्थानीय कृषि कुआँ को रिचार्ज करती हैं और आज कल ये नदियाँ नलकियाँ को रिचार्ज करने में सहयोगी हैं जिनसे खेती होती है और किसान की आर्थिक स्थिति सुधरती है। ये ओरण सैकड़ों प्रकार के वन्यजीवों के घर हैं जिनका प्रकृति के सौंदर्य में बहुत बड़ा रोल है ओरणों में फीले हजारों लाखों पेड़ वर्षा को तो आमंत्रित करते ही हैं हमें ऑक्सीजन के रूप में शुद्ध हवा देते हैं वायुमंडल के ताप को भी ये पेड़ नियंत्रित करते हैं, पेड़ों से सुख कर गिरी लकड़ियाँ ईंधन के रूप में काम देती हैं इन पर लगने वाले फल मानव की उदर पूर्ति में काम आते हैं, बहुमूल्य और दुर्लभ जड़ीबूटियाँ भी इन ओरणों में पाई जाती हैं जो मानव जीवन में सहायक हैं

जैसलमेर के कुल 38401 वर्ग किमी क्षेत्र में 411.91 वर्ग किमी क्षेत्र में ओरण भूमि संरक्षित है। अर्थात् कुल भूमि का 10 प्रतिशत है। जैसलमेर जिले के फतेहगढ तहसील के 35 गांवों में 5894 हेक्टर, जैसलमेर तहसील के 39 गांवों में 5444 हेक्टर, पोकरण तहसील के 90 गांवों में 29853 हेक्टर भूमि ओरण की है इसी प्रकार फतेहगढ के 35 इन ओरण गांवों में से 28, जैसलमेर के 39 इन ओरण गांवों में से 31, पोकरण के 90 इन ओरण गांवों में से 28, में ओरण तथा गोचर भूमि दोनों ही हैं जिले में 40921 हेक्टर भूमि ओरण तथा 42706 हेक्टर भूमि गोचर है। इन ओरणों में पारम्परिक जल स्रोतों की स्थिति का आकलन करे तो फतेहगढ के 35 इन ओरण गांवों में से 23, जैसलमेर के 39 इन ओरण गांवों में से 18, पोकरण के 90 इन ओरण गांवों में से 57 गांवों में पारम्परिक जलस्रोत आज भी मौजूद हैं अर्थात् 164 ओरणों में से 98 ओरणों में जलस्रोत है। इन पारम्परिक जल स्रोतों में अधिकांश में तालाब, पार, बेरिया व कुएँ मौजूद हैं इन ओरणों तथा इन स्थित जलस्रोतों का नाम स्थानीय देवी देवता के नाम पर है। और इन जलस्रोतों के समीप पाल अथवा सीमा पर स्थानीय देवी देवता के मन्दिर अथवा स्तम्भ लगा रहा है। जहां पर ग्रामीण अपनी श्रद्धा से पूजा याचना करते हैं। इन ओरण का सम्बंध पशुधन व प्राकृतिक वनस्पति से करे तो जिले के सम्पूर्ण प्राकृतिक वनस्पति का 71 प्रतिशत भाग, पशुधन में 47 प्रतिशत गायें, 50 प्रतिशत भेड़ें, 45 प्रतिशत बकरी तथा 42 प्रतिशत ऊँट पाये जाते हैं। इसके अलावा जिले की 52 प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है।

इसी प्रकार पर्यावरणीय संरक्षण दूसरी तकनीक खड़ीन है जो ओरण के साथ प्रत्यक्ष जुड़ी हुई है संभवतः ओरण खड़ीन से पहले विकसित होते हैं क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति से वर्षा तथा उपजाऊ भूमि का विकास होता है। खड़ीन कृषि में जैसलमेर जिले में अल्पवर्षा व विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण स्थानीय जीवनयापन के लिए स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों में महत्वपूर्ण जल का प्रबंधन विवेक तथा बुद्धि के साथ किया है जिसमें प्रवाहित जल वर्षा सुव्यवस्थित प्रबंधन करके कृषि तथा पेयजल के उपयोग में लाने के तकनीक को प्रचलित किया है जिसे स्थानीय भाषा में खड़ीन कहा जाता है।सीमित एवं कम वर्षा तथा रेतीली मिट्टी के कारण यहाँ कृषि जल एवं पेयजल की समस्या हमेशा बनी रहती है। यहाँ की जलवायु एवं वर्षाचक्र को समझते हुए अपने जनजीवन को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया और आजीविका चलाने के इस प्रकार की तकनीक विकसित की गई। खेती के लिये वर्षाजल संरक्षित करने के लिये कुछ परम्परागत ढाँचे (खड़ीन) बनाए गए जिससे आज भी अकाल के वर्षों में भी फसल प्राप्त हो जाती है। इन खड़ीनों से अतिरिक्त जल को निकाल कर नमकीन झीलों में प्रवाहित कर दिया जाता है जिसे "रण" कहते हैं जो कि जो कि भूमि के आन्तरिक जलभरण का स्रोत बनता है। अर्थात् प्रवाहित जल के सदुपयोग के साथ भूमिगत जल में वृद्धि जैसी संकल्पना विकसित की गई है। पेयजल के लिये वर्षा जल संग्रहण संरचनाएँ जैसे टांका, बेरी, नाडी आदि हमारे पूर्वजों की देन है। ये सभी परम्परागत तकनीकें उन्होंने स्थानीय जलवायु, मनुष्य की आवश्यकता और सुलभता के आधार पर लोक व्यवहार एवं ज्ञान से विकसित की गई।

जैसलमेर जिले में खड़ीन—

वह कृषि भूमि है जहां पर जलसंरक्षण, जलप्रबंधन, भूमिगत जल पुनर्भरण, मृदासंरक्षण व जैविक बीज प्रयोग आधारित सामूहिक कृषि की जाती है, पर्यावरणीय संरक्षण तथा पारिस्थितिकी विकास का मूल भावना का विकास करते हुए सामाजिक सामूहिकता के रूप में, जैसलमेर जिले के विभिन्न भागों में की जाने वाली कृषि है। यह जिले के रेतीले टीलों के बीच-बीच जिला मुख्यालय के 25 से 30 किमी परिधि में जुरासिक कालीन पथरीला भूमि है जिसमें कि 200 मी से 300 मीटर उचाई की पहाडियाँ हैं जिसे स्थानीय भाषा में मगरा कहा जाता है। इन मगरों से वर्षा काल में बहते हुए जल के प्रवाह मार्ग में ढालू क्षेत्र में पत्थरो अथवा मिट्टी से बांध कर अथवा मेड. बन्दी करके कमानुसार, कृषि भूमियों पर जल को इकट्ठा किया जाता है, इसके पश्चात् रबी तथा खरीफ फसलों की पैदावार की जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में खड़ीन कहा जाता है। इस पारम्परिक कृषि का विकास जैसलमेर जिले में लगभग 15 सदी में पालीवाल कृषक ब्राहमणों के द्वारा किया गया था। खड़ीन का निर्माण सामान्यतः खरीफ या रबी की फसल कटने के बाद दिसम्बर और जून में किया जाता है क्योंकि इस दौरान किसान के पास अतिरिक्त समय होता है। मरुस्थल में जल संरक्षण की तकनीकों का विवरण बिना खड़ीन के नाम से अधूरा है। खड़ीन मिट्टी का एक बाँध है जो किसी ढलान वाली जगह के नीचे बनाया जाता है जिससे ढलान पर गिरकर नीचे आने (बहने) वाला पानी रुक सके। यह ढलान वाली दिशा को खुला छोड़कर बाकी तीन दिशाओं को घेरती है। खड़ीन से जमीन की नमी बढ़ने के साथ-साथ बहकर आने वाली खाद एवं मिट्टी से उर्वरकता में भी वृद्धि होती है। नमी की मात्रा बढ़ने से एक वर्ष में दो फसलें लेना भी सम्भव हो जाता है।

खड़ीन एक पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा जल को रोक कर ढाल वाले क्षेत्रों में कृषि करने की विशेष तकनीक है जिसे किसी भी आम जमीन पर नहीं बनाया जा सकता। बढ़िया खड़ीन बनाने के लिये अनुकूल जमीन में दो प्राकृतिक गुणों का होना आवश्यक है। ऐसा आगोर (जल ग्रहण क्षेत्र) जहाँ भूमि कठोर, पथरीली, एवं कम ढालदार हो, जिससे मिट्टी की मोटी पाल बाँधकर जल को रोका जा सके। खड़ीन बाँध के अन्दर ऐसा समतल क्षेत्र होना चाहिए जिसकी मिट्टी फसल उत्पादन के लिये उपयुक्त हो। खड़ीन एक

अर्द्धचन्द्राकारनुमा कम ऊँचाई (4 फीट से 5 फीट) वाला मिट्टी का एक बाँध होता है। यह जल की ढाल की दिशा के विपरीत बनाया जाता है, जिसका एक छोर वर्षाजल प्राप्त करने के लिये खुला रहता है। किसी भी खड़ीन को बनाने में तीन तत्व महत्वपूर्ण होते हैं:—

1. पर्याप्त जल ग्रहण क्षेत्र
2. पर्याप्त ढाल वाला क्षेत्र
3. खड़ीन बाँध अर्थात् पानी रूकावट क्षेत्र
4. अतिरिक्त जल निकास क्षेत्र

जैसलमेर में कोई बारहमासी नदी नहीं है केवल बरसाती नदियाँ और वे भी केवल उच्च भूमि क्षेत्रों और समतल भूमि पर तथा रेत के धोरा में स्थानीय आवश्यकता ने बहते पानी तालों में रोका जा सकता है। ऐसे सब स्थानों पर खड़ीन बनाई जा सकती है। खड़ीन अर्थात् तालाब है, इनमें पानी कम गहरा होता है। दो ओर मिट्टी की पाल बनाकर तीसरी ओर पत्थर की मजबूत चादर बनाई जाती है। कहीं-कहीं चादर खड़ीन बनी पाल के बीच में होती है। पानी के प्रवाह और ढलान के हिसाब से चादर बनती है। खड़ीन की पाल ही घोरा कहलाता है। खड़ीन पाँच-सात किलोमीटर तक लम्बी हो सकती है। पानी अधिक बरसे तो चादर से बाहर निकलकर दूसरी-तीसरी खड़ीनों को भरता है। इस धरती पर कई इलाकों में ऐसी खड़ीन हैं। काक नदी के किनारे बनी ऐसी खड़ीनें हैं जो दूर-दूर जाती हैं। नमडूंगर से डेढ़ा गाँव तक ऐसी कई खड़ीनें हैं। रियासत की पुरानी राजधानी लौद्रपुर से नीचे बहने वाली नदी खड़ीनों को भरती हुई गेहूँ के सैकड़ों कोठारों को भरने में समर्थ थी खड़ीन में तीन-चार माह तक विश्राम करती हुई नदी धीरे-धीरे सूख जाती है और खड़ीन की भूमि में नमी पैदा करती है। इसी नमी के बल पर खड़ीनों में गेहूँ, चना, सरसों आदि की फसल बोई जाती है। मौसम अनुकूल हो तो एक मन, पचास साठ मन तथा कई बार सौ गुनी पैदावार भी हो जाती थी। यह सब इस धरती की उर्वरा शक्ति पर निर्भर था। इस धरती पर इतनी खड़ीनें बनाई गई थीं कि एक समय इस क्षेत्र का नाम ही खड़ीन पड़ गया था।

खड़ोन 150 से 500 मीटर लम्बा अथवा 2 से 5 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में फेला हो सकता है। इसका आकार साधारणतया उस क्षेत्र की औसत वर्षा, आगोर का ढाल तथा भूमि की गुणवत्ता पर ही निर्भर करता है। खड़ीन बाँध (पाल) के ऊपर (टॉप) की चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर तक तथा बाँध की दीवार में 1:1.5 का ढाल होता है। जिस स्थान पर पर्याप्त जल आकर रुकता है उसे 'खड़ीन' (समरजिंग एरिया) और पानी रोकने वाले बाँध को 'खड़ीन बाँध' कहा जाता है। अतिरिक्त पानी के निकास के लिये बनाई गई संरचना को 'नेहटा' कहते हैं। खेती लायक पानी एकत्र करने के लिये खड़ीन और आगोर का आदर्श अनुपात 1:5 का होना चाहिए।

जैसलमेर जिले के कुल क्षेत्रफल 38,40,100 हेक्टेयर है जिसमें लगभग 28,400 हेक्टेयर पर खड़ीन भूमि का कब्जा है। यहां पर 524 से अधिक खड़ीन निम्न भागों में स्थित हैं जो कि निचली पहाड़ियों से घिरा हुआ है इसके काजरी ने अलावा, 24,448 हेक्टेयर भूमि को संभावित जलग्रहण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है जहां औसत वार्षिक वर्षा को आधार मानते हुए 412 हेक्टेयर क्षेत्र वाले खड़ीनों का चिन्हित किया है। जैसलमेर तहसील के रूपसी और बुज खड़ीन जैसे कुछ महत्वपूर्ण हैं जो कि अपने विशाल क्षेत्र तथा पैदावार और पारिस्थिति तंत्र में योगदान के लिए माने जाते हैं। जो खड़ीन उपरी क्षेत्रों स्थित हैं वहां कें संग्रहित जल का नहरों द्वारा निचली खड़ीनों को खेती के लिए आपूर्ति की जाती है। पर्याप्त वर्षा वाले वर्ष में लगभग सभी खड़ीनों की खेती हो जाती है। बड़े खड़ीन भुज (1600 हेक्टेयर), ओय्या (800 हेक्टेयर), कोमल (800 हेक्टेयर), जैतसर (60 हेक्टेयर), पाटन (143 हेक्टेयर), ओलाखुंध (125 हेक्टेयर), सागर (110 हेक्टेयर), नोवाडा (96) उगाता (80 हेक्टेयर), मुंगरी (80 हेक्टेयर), सागर (76 हेक्टेयर), बरखानवाला (73 हेक्टेयर), कांसी प्रथम (88 हेक्टेयर) और लूनाखुर्द (83 हेक्टेयर)। ये खड़ीन अत्यधिक उत्पादक हैं। बताया गया है कि अनुकूल वर्षा वाले वर्षों में किसानों द्वारा प्रति हेक्टेयर 10 से 40 क्विंटल गेहूँ का उत्पादन किया गया है। ये खादीन बिना सिंचाई के रबी फसलों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं

आरण व खड़ीन के मध्य सम्बन्ध —

• आरण के माध्यम से खड़ीन भूमि में उर्वरता में विकास —

जैसलमेर जिले में अधिकांश आरण खड़ीन के केचमेण्ट क्षेत्रों में स्थित हैं जहां से वर्षा जल प्राप्त होता है इन आरण स्थित पेड़ पौधों की पत्तियां तथा जीवों के अपशिष्ट भाग वर्षा जल के साथ प्रवाहित होकर खड़ीनों की भूमि पर एकत्रित होते हैं और खड़ीनों में पानी के रूकने के साथ ही पानी म गल कर मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं जिससे खड़ीनों को जैविक खाद मिलती रहती है इसी कारण इनमें जैविक कृषि की जाती है।

• आरण के द्वारा खड़ीनों के आगोर अथवा केचमेण्ट क्षेत्र का विकास एवं सुरक्षा —

जैसलमेर क्षेत्र में आरणों से खड़ीनों के आगोर क्षेत्र में वृद्धि तथा विकास होता है जैसे जैसे पेड़ों की श्रृंखला में वृद्धि होती जाती है स्थानीय जनमानस भी उस क्षेत्र में अन्य उपयोग के लिए छोड़ देता है और क्षेत्र का विस्तार होता जाता है।

• आरण से खड़ीनों की पाल की सुरक्षा —

खड़ीनों की पाल अथवा बाध पर स्थानीय वृक्षों की कतार होती है जो मिट्टी से बने होते हैं विशाल वृक्षों की जड़े इन बाँधों को सुरक्षा तथा मजबूती प्रदान करती हैं जिससे पानी का रिसाव भी नहीं होता है और अतिरिक्त पानी दोहन भी इन पेड़ों के द्वारा सोख लिया जाता है।

• खड़ीनों के माध्यम से वन्य जीवों को पेयजल तथा भोजन की प्राप्ति —

आरण स्थित वन्य जीव जन्तु एवं पेड़ों को वर्ष भर पेयजल तथा भोजन के खड़ीन भोजन श्रृंखला का निर्माण करते हैं इसमें जलचर तथा उभयचर प्रमुख हैं खड़ीनों में कृषि लेने के पश्चात अन्न के बीजों पर सभी पक्षी तथा चूहे आश्रित रहते हैं साथ पेड़ों से प्राप्त फल तथा कन्दमूल स्वस्थ भोजन श्रृंखला विकसित होती है साथ प्रवासी पक्षियों के शीतकाल में रूकने का प्रमुख आसरा भी है।

• आरण को खड़ीनों से जल की प्राप्ति —

खड़ीनों में अगस्त से दिसम्बर माह तक पानी रहता है ये जल लगभग 6 माह तक स्थानीय क्षेत्र की भूमिगत जल पुनर्भरण के रूप में भूमि में समा जाता है इस जल का उपयोग आरणों के पेड़, गर्मी की ऋतु में करते हैं जिससे वर्ष भर हरियाली बनी रहती है।

• आरण से नदियों तथा नालों के किनारों का संरक्षण —

अधिकांश आरण से खड़ीनों को जल की प्राप्ति होती है यहां स्थित नदी—नालों के किनारों पर प्राकृतिक रूप अथवा मानव के द्वारा वृक्षों की कतारें लगाई गईं जो कि नदी के किनारों तथा तटबंध को सुरक्षित रखती हैं जिससे तेज बहाव के समय भी इनके तट टूटते नहीं हैं।

• आरण के द्वारा खड़ीनों में आने वाले प्रवाहित वर्षा जल के वेग में कमी —

खड़ीनों में आने वाले जल के अतिरिक्त प्रवाह को रोकने के लिए आरण के पेड़ तथा पौधे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं ये वृक्ष जहां मिट्टी के अपरदन को रोकने में सक्षम होते हैं वही वर्षा जल की गति को कम करने में सहायक होते हैं। इन वृक्षों के द्वारा अवरोध से स्थानीय भागों में कटाव भी होता है और वहां पर रहने वाले जीवों को आरण में जल की आपूर्ति हो जाती है।

• आरणों से खड़ीनों के अतिरिक्त जल का भूमिगत अवशोषण होता है जिससे बाढ़ की संभावना नहीं रहती है —

आरणों के द्वारा अवरोध बनने तथा जल के रूकावट के कारण जल के वेग में कमी आती है तथा अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है जिससे खड़ीनों पर जल का दबाव नहीं पड़ता है और बाढ़ आने की आँका भी कम हो जाती है।

• खड़ीनों के अतिरिक्त जल नमकीन रणों प्रवाहित किया जाता है जिससे ऐसे आरण निकट खुली जलराशियों के समीप नहीं होते हैं उन आरण के जीवों तथा पेड़ पौधों को जल की प्राप्ति होती रहती है साथ ही वहां पर स्थित कुओं तथा बरियों को जल प्राप्त होता है जिसे रेजवानी पानी कहा जाता है जिसका उदाहरण ब्रहमसर में स्थित कुण्ड और बावड़ियां हैं जिससे अकाल क समय तथा वर्ष भर जल की आपूर्ति होती है।

• प्रवासी पक्षियों के लिए उपयुक्त स्थल —

अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सितम्बर से फरवरी माह तक साईबेरियन क्रेन जैसे हजारों पक्षियों का स्थानान्तरण अथवा माईग्रे"शन होता है भारत में ये आरण व खड़ीन ऐसे स्थल हैं जहां पर ये पक्षी रूकते हैं और भोजन तथा अन्य गतिविधियां करते हैं जिससे इनके अपशिष्ट से स्थानीय भूमि को उर्वरता तथा स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होता है।

सुझाव एवं निष्कर्ष—

जैसलमेर जिले के इन पर्यावरण संरक्षण के समाज ने ऐसे विधान तथा उपागम दिये जो किसी संवैधानिक कानून के मोहताज नहीं हैं और साथ ही सदियों तक स्थानीय ग्रामीण प्रशासन व अर्थव्यवस्था का आधार रह। इन दोनों प्रमुख उपागमों में मध्य अन्तरसम्बन्ध भूमिसंरक्षण, जलसंरक्षण, भूमिगत जलपुनर्भरण, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने,

पेड़ व पौधों को वर्षभर जल आपूर्ति, जीवों के भोजन, भूमि कटाव व बाढ़ रोकने में पाया जाता है। इन खड़ीन तथा औरण को संरक्षित करने के लिए सर्वोच्च विकास की अवधारणा को अपनाना होगा ताकि भविष्य के लिए भी उपादेयता रहे।

REFERENCES

1. मिश्र, अनुपम, (2017), आज भी खरे हैं तालाब, राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर, 31-33
2. भाटिया, सांगीदान, (2016), जलसंरक्षण नीति एव संस्कृति –मरुधरा के सन्दर्भ में, साहित्यगार प्रकाशन, जयपुर
3. जोशी, महेशकुमार, (2013), थार मरुस्थल की मिट्टीयां व उनका वर्गीकरण; मरु कृषि चयनिका, वार्षिक पत्रिका, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, जोधपुर।
4. बिस्सा, श्यामसुन्दर, (2012), रजत बून्दों में राजस्थान की जल संरक्षण: सुजस, वार्षिक पत्रिका, राजस्थान सरकार, 88-89
5. ओझा, प्रियदर्शी, (2012), पश्चिमी भारत में जल प्रबंधन में जल प्रबंधन का अध्ययन, सुभद्रा प्रकाशन एव वितरक, दिल्ली, 72-106
6. शर्मा, नन्दकिशोर, (2011), जैसलमेर का सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन, सीमान्त प्रकाशन, जैसलमेर, 48-52
7. व्यास, मागीलाल मयंक, (2011), जैसलमेर का इतिहास, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 38-44
8. नाटाणी, पी.एन. (2008), जलसंरक्षण, समस्या तथा समाधान, बुक एनक्लेव, जयपुर, 51-57
9. पालीवाल, शिवनारायण, (2006), पत्रिका विरासत, पालीवाल समाज की वार्षिक पत्रिका, जोधपुर
10. मिश्र, अनुपम, (2004), आज भी खड़े हैं तालाब, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 31-33
11. भाटिया, ओमप्रकाश, (2002), दीवान सालमसिह, सीमान्त प्रकाशन, जैसलमेर
12. शर्मा, नन्दकिशोर (2002) ने "जैसलमेर का राजनैतिक इतिहास, सीमान्त प्रकाशन, जैसलमेर
13. पंवार, डा.ललित कुमार (2001) ने "भारतीय रेगिस्तान में पर्यावरणीय पर्यटन, राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर 58-65
14. शोध, बुलेटिन, (1992), केन्द्रीय शुष्क अनुसंधान परिषद, जोधपुर
15. राजस्थान जिला गजेटियर, 1977 निदेशालय जिला गजेटियर्स, राजस्थान सरकार
16. टाड, कर्नल, (1873), जैसलमेर का इतिहास, 35-48